POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 15.11.2024

1. थाना फेस-3 पुलिस द्वारा चोरी के प्रकरण में वांछित 20 हजार रुपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.11.2024** को **थाना फेस-3** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये चोरी करने वाले 20 हजार रुपये के ईनामी वांछित अभियुक्त सनोज पासवान पुत्र अजीत पासवान निवासी नारायणगढ थाना रेवती जनपद बलिया उम्र 30 वर्ष को सेक्टर-66 से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 01.11.2023 को वादी की कंपनी से जीन्स चोरी करने के संबध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 371/2023 धारा 381/411/420/120बी में पंजीकृत कराया गया था जिसमें अभियुक्त सनोज पासवान प्रकाश में आया। उक्त प्रकरण में अभियुक्त पर 20,000 रूपये का ईनाम घोषित था।

अभियुक्त का विवरण-

1. सनोज पासवान पुत्र अजीत पासवान निवासी नारायणगढ थाना रेवती जनपद बलिया उम्र 30 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 371/23 धारा 381/411/420/120 बी भादवि थाना फेस-3 गौतमबुध्दनगर।

2.थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर टाटा मोटर्स से एक टाटा सफारी गाड़ी लेकर धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.11.2024** को थाना फेस-1 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये कूटरचित दस्तावेज तैयार कर टाटा मोटर्स से एक टाटा सफारी गाड़ी लेकर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त राजदेब पुत्र अमित कुमार देब को थाना फेस-1 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा सागर मोटर्स सेक्टर-5 नोएडा से टाटा सफारी गाडी दिनांक 10.08.2023 में रूपये 11,000/- ऑनलाईन देकर बुक करायी तत्पश्चात डिलीवरी के समय अभियुक्त राजदेब व उसकी पत्नी कोयल देब द्वारा अपने यस बैंक के खाते का चैक सागर मोटर्स के नाम से निर्गत किया तथा तत्काल उस चैक को वापस करा लिया और एक फर्जी मैसेज बनाकर सागर मोटर्स के खाते में रूपये 26,00,000/- का भुगतान दिखाकर टाटा सफारी गाड़ी की डिलीवरी प्राप्त कर ली। बाद में सागर मोटर्स द्वारा जाँच पड़ताल करने पर पता चला कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जो चैक सागर मोटर्स के पक्ष में निर्गत किया गया था वह क्लियर नही हुआ है तथा जो मैसेज अभियुक्त द्वारा अपने फोन में एजेन्सी को दिखाया गया था वह भी फर्जी है। चैक क्लियरिंग होने के सम्बन्ध में कुछ समय के लिये टाटा मोटर्स के बैंक अकाउन्ट में रूपये का भुगतान प्रदर्शित हुआ जिसका फायदा उठाकर अभियुक्त द्वारा गाड़ी की डिलीवरी प्राप्त कर ली गयी जबकि अभियुक्त के खाते से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान सागर मोटर्स के खाते खाते में प्रदर्शित नही हुआ है। अभियुक्त राजदेब उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा इसी प्रकार राणा मोटर्स नोएडा व गैलेक्सी टोयोटा नजफगढ़ रोड मोतीनगर दिल्ली से भी क्रमशः ग्रान्ड विटारा कीमत करीब रूपये 22 लाख व टोयोटा हाईलक्स कीमत करीब 30 लाख रूपये धोखाधड़ी कर व फर्जी तरीके से चैक निर्गत कर ऑनलाईन बैंकिंग के जरिये रूपयो का भुगतान अकाउन्ट में प्रदर्शित कराकर प्राप्त की गयी है। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि ऐसा करने पर जब एजेन्सी द्वारा उसको भुगतान के लिये कहा जाता है तो वह आरसी प्राप्त होने तक वह एजेन्सी को पैसे वापस देने के लिये मौखिक व लिखित रूप से आश्वस्त करता है ताकि एजेन्सी आरसी केन्सिल करने हेतु आर.टी.ओ. को शिकायत न करे। आरसी निर्गत होने के बाद वह जल्दी ही उक्त गाड़ियो को बेच देता है तथा इसी प्रकार अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा सागर मोटर्स से प्राप्त टाटा सफारी को डीलर के माध्यम से दिल्ली में ललित कुमार दीक्षित नाम के व्यक्ति को रूपये 12 लाख में विक्रय कर चुका है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 522/24 धारा 420/406/467/468/471/120बी भादवि थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त का विवरण--

1. राजदेबव पुत्र अमित कुमार देब निवासी फ्लेट न0 503 टावर ए 1 क्लीओ काउन्टी से0-121 थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 38 वर्ष

अभियुक्त राजदेव उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 522/24 धारा 420/406/467/468/471/120बी भादवि थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 89/2022 धारा 420/506/120बी भादवि थाना मनपुरा जिला बद्दी, हिमाचल प्रदेश